न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः– 6 / 15 (RCMS No.2015 / 00033) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. विजयपाल सिंह
2. प्रेमपाल सिंह
3. गया प्रसाद

पुत्रगण शिशुपाल जाति अहीर निवासी ग्राम भोजपुर तहसील खेरागढ़ जिला आगरा यू.पी.

...........अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर

.... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर
दिनांक 27.06.2014

उपस्थितिः–

1. श्री महाराज सिंह डागुर वकील अपीलान्ट
2. श्री उदयवीर कसाना राजकीय अभिभाषक

नि र्ण य **दिनांकः–06.11.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 27.06.14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी / अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पेश किया था कि गत आराजी ख0 नं0 22 रकवा 8 बीघा वांके ग्राम रूंध वांसीखुर्द का आवंटन प्रार्थीगण / अपीलान्ट के पिता को सैनिक होने के कारण हुआ था। उक्त गत ख0 नं0 से हाल ख0 नं0 40 रकवा 84 एयर व 54 रकवा 37 एयर किता 2 रकवा 1.21 हैक्टयर बने हैं। रिकार्ड में सहबन से जाति अहीर का अंकन नही हुआ है। प्रार्थीगण / अपीलान्ट के पिता शिशुपाल की मृत्यु हो चुकी है।मृतक के वारिसान श्रीमती रामश्री देवी पत्नि शिशुपाल सिंह, सुशीला देवी, कमलेश देवी पुत्रियां शिशुपाल सिंह ने दिनांक 26.08.13 को अपने हिस्से की रिलीज ड़ीड़ प्रार्थीगण / अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित कर दी थी। अपीलान्ट ही मृतक शिशुपाल के वैध उत्तराधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मृतक शिशुपाल के स्थान पर प्रार्थीगण को खातेदार दर्ज कर जाति अहीर दर्ज रिकार्ड की जावे। अधीनरस्थ न्यायालय में पैरोकार सरकार ने जबाब पेश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर यह माना कि धारा 136 के तहत लिपिकीय त्रुटियों को दुरूस्त करने का प्रावधान है। प्रार्थी ने गत जमाबन्दी पेश नही की है जिसमें प्रार्थी की जाति अहीर दर्ज रिकार्ड हो। धारा 136 केतहत मृतक के स्थान पर उसके कथित वारिसान का नाम दर्ज रिकार्ड करने का कोई प्रावधान नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गयी है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट के पिता को सैनिक होने के कारण उक्त आराजी का आवंटन हुआ था। पिता के नाम खातेदारी के कालम में शिशुपाल पुत्र धर्मसिंह सा0 झारौली दर्ज है। गलती से जाति अहीर का अंकन नही हुआ है। शिशुपाल की मृत्यु हो चुकी है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में नकल जमाबन्दी सं0 2069 से 2072, नकल मिलान क्षेत्रफल बन्दोवस्ती सं0 2043 से 62 व नकल जमाबन्दी सं0 2015 से 2018, नौकरी का प्रमाण पत्र, रिलीज डीड, तहसीलदार खेरागढ़ का पत्र प्रस्तुत किये है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजों को अनदेखा कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट ने फोटोप्रति भारतीय सेना का डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, फोटोप्रति वारिसान प्रमाणपत्र प्रधान ग्राम पंचायत बकालपुर ब्लाक खेरागढ, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र, फोटोप्रति पिछडी जाति का प्रमाण पत्र तहसीलदार खोरागढ जिला आगरा भी पेश किये। अधीनस्थ न्यायालय ने जो तथ्य अपने निर्णय में दिये है, वह गलत है। अधीनस्थ न्यायालय को केवल जाति शुद्धी करनी थी जिसके संबंध में अपीलान्ट ने प्रचुर मात्रा में साक्ष्य प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि अपीलान्ट ने आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश नही की है। आवंटन आदेश या आवंटन फार्म से ही जाति का आंकलन हो सकता था कि अपीलान्ट के पिता जाति से अहीर थे। राजस्व रिकार्ड जो पेश किया है उसमें जमाबन्दी सं0 2015 में नोट लगा हुआ है कि यह रकवा कमेटी द्वारा 26.11.64 को एलोट हो चुका है। नीचे ख0 नं0 नाम व रकवा लिखा हुआ है जिसमें शिशुपाल पुत्र धर्म सिंह झारौली रकवा 8 बीघा अंकित है। जमाबन्दी सं0 2018 में ख0 नं0 22 रकवा 8 बीघा पर शिशुपाल पुत्र धर्मसिंह सा0 झारौली एलौटी गैर खातेदार अंकित है। जमाबन्दी सं0 2069 से 2072 में उक्त रकवे के हाल ख0 नं0 49 व 50 पर शिशुपाल पुत्र धर्म सिंह सा0 झारौली खातेदार अंकित है। उक्त इन्द्राज में कही भी जाति यादव दर्ज नही है। अपीलान्ट जाति के साथ साथ वारिसान का इन्द्राज करवाना चाहते हैं, जो धारा 136 के तहत दुरूस्त नही किया जा सकता है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट के पिता शिशुपाल सिंह पुत्र धर्मसिंह को विवादित आराजी गत ख0 नं0 22 रकवा 8 बीघा वांके ग्राम रूंध वांसीखुर्द का आवंटन सेना में सैनिक होने से हुआ था। जैसाकि जमाबन्दी सं0 2015 में नोट लगा हुआ है कि यह रकवा कमेटी द्वारा 26.11.64 को एलोट हो चुका है। नीचे ख0 नं0 नाम व रकवा लिखा हुआ है जिसमें शिशुपाल पुत्र धर्म सिंह झारौली रकवा 8 बीघा अंकित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। जमाबन्दी सं0 2018 में ख0 नं0 22 रकवा 8 बीघा पर शिशुपाल पुत्र धर्मसिंह सा0 झारौली एलौटी गैर खातेदार अंकित है। जमाबन्दी सं0 2069 से 2072 में उक्त रकवे के हाल ख0 नं0 49 व 50 पर शिशुपाल पुत्र धर्म सिंह सा0 झारौली खातेदार अंकित है। उक्त इन्द्राज में कही भी जाति यादव दर्ज नही है। उक्त गत ख0 नं0 से हाल ख0 नं0 40 रकवा 84 एयर व 54 रकवा 37 एयर किता 2 रकवा 1.21 हैक्टयर बने हैं। रिकार्ड में सहबन से जाति अहीर का अंकन नही हुआ है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में नकल जमाबन्दी सं0 2069 से 2072, नकल मिलान क्षेत्रफल बन्दोवस्ती सं0 2043 से 62 व नकल जमाबन्दी सं0 2015 से 2018, नौकरी का प्रमाण पत्र, रिलीज डीड, तहसीलदार खेरागढ़ का पत्र प्रस्तुत किये है अपीलान्ट ने इस न्यायालय में बहस के दौरान फोटोप्रति भारतीय सेना का डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, फोटोप्रति वारिसान प्रमाणपत्र प्रधान ग्राम पंचायत बकालपुर ब्लाक खेरागढ, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र, फोटोप्रति पिछ्डी जाति का प्रमाण पत्र तहसीलदार खोरागढ जिला आगरा भी पेश किये। उक्त सभी दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि अपीलान्टस पिता फौज में थे। फौजी नौकरी का सर्टिफिकेट सं0 29874 से जाहिर है कि शिशुपाल सिंह यादव पुत्र धर्म सिंह यादव अहीर गांव भोजपुर डाकघर खोरागढ तहसील खेरागढ़ जिला आगरा यू.पी. है। फोटोप्रति तहसीलदार खेरागढ़ के पिछडी जाति का प्रमाण पत्र दिनांक 11.06.86 से भी अपीलान्ट की जाति अहीर होना साबित है। फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 04.01.94 से जाहिर है कि शिशुपाल यादव की मृत्यु दिनांक 03.12.93 को ग्राम भोजपुर पोस्ट कागरौल आगरा अंकित है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के पिता शिशुपाल की जाति अहीर रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.06.2014 निरस्त किया जाता है तथा विवादित आराजी साविक ख0 नं0 22 रकवा 8 बीघा से बने हाल ख0 नं0 49 रकवा 84 एयर व ख0 नं0 50 रकवा 37 एयर किता 2 रकवा 1.21 वांके ग्राम रूंधवासी खुर्द पर शिशुपाल पुत्र धर्म सिंह की **जाति अहीर**'' सा0 झारौली दर्ज की जाकर दुरूस्ती की जावे। अपीलान्ट विरासत के संबंध में अलग से तहसील/ग्राम पंचायत में नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर